बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

कार्यालय निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्पकालीन निविदा (विज्ञापन संख्या– 03/2019–20)

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में तमिलनाडू राज्य के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई से विभिन्न वन्यप्राणियों के परिवहन हेतु अधिकृत निबंधित परिवहनकर्ताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक 28.08.2019 के अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 30.08.2019 को अपराह्न 3.00 बजे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। परिवहन हेतु वाहनों की विवरणी निम्नांकित हैः–

क्रमांक	वाहन की विवरणी	परिवहन कहां से कहां तक की जानी है	वाहनों की संख्या
1	ट्रक 10 चक्का	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना (बिहार) से विभिन्न प्रकार के केज, वन्यप्राणियों के लिए भोजन, पानी के लिए खाली ड्रम आदि के साथ प्रस्थान कर तमिलनाडू राज्य के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई पहुँचना तथा अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई से रॉयल बंगाल टाईगर, लायन टेल्ड मकॉक, ग्रे वुल्फ, पेंटेड स्टॉर्क, व्हाईट पी–फॉल, ऑस्ट्रिच तथा रेटिकुलेटेड पाईथन ट्रक पर लोड कराकर संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में पहुँचाना।	3
2	इनोबा	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से पदाधिकारियों के साथ तमिलनाडू के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई पहुँचना तथा अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर से ट्रक पर लोड किये गये वन्यप्राणियों के साथ संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के लिए प्रस्थान।	3

निदेशक।

निविदा की शर्तें निम्नवत् होंगी :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग (जी0एस0टी0) से निबंधित, आयकर विभाग से (पैन) निबंधित होने का प्रमाण (स्व0 अभिप्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा।
2. निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 75,000.00 (पचहत्तर हजार) रू0 मात्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक " संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना " के पदनाम से देय होगा जो पटना स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
3. परिवहन हेतु 10 चक्का ट्रक का राष्ट्रीय परमीट होना अनिवार्य है।
4. परिवहन के दौरान वाहन के रख–रखाव के खर्च का भुगतान निविदाकर्त्ता को करना होगा। परिवहन के दौरान किसी कारणवश ट्रक खराब हो जाती है, तो परिवहन की जिम्मेवारी संबंधित वाहन ट्रांसपोर्टर की होगी।
5. परिवहन के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा सड़क यातायात के द्वौरान परिवहन हेतु टोल प्लाजा, मरम्मती अथवा पार्किंग चार्ज इत्यादि निविदाकर्त्ता को वहन / भुगतान करना होगा।
6. वाहन की रख–रखाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
7. ट्रक 10 चक्का वाहन बिहार स्थित संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से प्रस्थान कर तमिलनाडू के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई पहुँचकर तथा विभिन्न वन्यप्राणियों को ट्रक पर लोड कर पुनः संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना (बिहार) तक परिवहन कर पहुँचाएंगे। निविदा में वाहन की भाड़ा दोनों तरफ का अंकित करेंगे।
8. इनोबा वाहन बिहार स्थित संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से पदाधिकारियों के साथ प्रस्थान कर तमिलनाडू के अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेंडालूर, चेन्नई पहुँचेगी तथा वहाँ से पदाधिकारियों के साथ प्रस्थान कर ट्रक पर लोड किये गये वन्यप्राणियों के साथ–साथ संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना (बिहार) के लिए रवाना होगी।
9. वाहन का प्रदुषण स्वच्छता पेपर तथा Insurance होना अनिवार्य है।
10. वाहन चालक एवं उपचालक का मानदेय एवं खुराकी तथा विविध खर्च (डिजल / पेट्रोल / मोबिल आदि) निविदादाता को व्यय / भुगतान करना होगा।
11. ट्रक में पूर्ण डाला (बॉडी) होनी चाहिए।
12. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदादाता के निबंधित प्रतिष्ठान का बैंक खाता संख्या / IFSC code के साथ रद्द किया हुआ चेक संलग्न करना अनिवार्य है। परिवहन के उपरांत राशि का भुगतान निविदादाता के निबंधित प्रतिष्ठान को सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जाएगा।
14. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदादाताओं के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
15. परिवहन के दौरान वाहन का परिचालन प्रतिदिन 8–10 घन्टा किया जाएगा। वाहन परिवहन की अवधि लगभग 12–15 दिनों की होगी।
16. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
17. परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
18. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।
19. सफल निविदाकर्त्ता को परिवहन राशि भुगतान के समय यदि कोई कर देय हो तो उसका भुगतान नियमानुकूल करनी होगी।
20. योजना के स्वीकृति के उपरांत ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
21. विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के दूरभाष संख्या 0612–2217455 / मोबाईल संख्या 08986153174 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है अथवा बेवसाईट www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।